भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 561

गुरूवार, 21 जुलाई, 2022 / 30 आषाढ़, 1944 (शक)

मजदूरी नियमों का अनुपालन नहीं किया जाना

561. प्रो. मनोज कुमार झा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में कुछ कंपनियां राष्ट्रीय मजदूरी नियमों का अनुपालन नहीं कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के उल्लंघन का डाटाबेस रखा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या नियम का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण व्यथित लोगों को कोई क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के तहत, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में मजदूरी का भुगतान न किए जाने / कम मजदूरी का भुगतान किए जाने संबंधी उपबंधों सहित मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को लागू करने के लिए उपयुक्त सरकारें हैं। केंद्रीय क्षेत्र में इनका प्रवर्तन मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है और राज्य क्षेत्र में इनका अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। नामोद्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और भुगतान न करने या मजदूरी / न्यूनतम मजदूरी के कम भुगतान का पता चलने की स्थिति में, वे नियोक्ताओं को मजदूरी की कमी का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। अनुपालन न किए जाने के मामले में, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 17क और 20 के तहत तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 22 के तहत निर्धारित दंडिक उपबंधों का सहारा लिया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र में

https://www.staffnews.in

अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के संबंध में ब्यौरा संलग्न है। राज्य क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी के उपबंधों को लागू करने का ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

* *****

अनुबंध

'मजदूरी नियमों का अनुपालन नहीं किया जाना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 21.07.2022 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 561 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत किए गए निरीक्षण, अभियोजन और दोषसिद्धि का ब्यौरा

विवरण	किए गए निरीक्षणों की संख्या	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	सुधार किए गए अनियमितताओं की संख्या	शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	दोष-सिद्धियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
2019-20	7690	59950	23397	1609	412
2020-21	2114	13949	7566	501	174
2021-22	5022	35983	8726	492	167

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दावा के मामले

वर्ष	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दर्ज दावे			
	दर्ज	निर्णीत	अर्थदंड	लाभान्वित कामगारों की संख्या
1	2	3	4	5
2019-20	3470	754	217981002/- रुपये	5297
2020-21	3763	1334	270202177/- रुपये	7631

https://www.staffnews.in

2021-22	5297	2102	177722490/- रुपये	7487

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के तहत किए गए निरीक्षण, अभियोजन और दोषसिद्धि का ब्यौरा

विवरण	किए गए निरीक्षणों की संख्या	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	सुधार किए गए अनियमितताओं की संख्या	शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	दोष-सिद्धियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2019-20	2629	16004	9622	317	57
2020-21	928	5003	4209	145	34
2021-22	2140	12325	3857	423	39

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के तहत दावा के मामले

वर्ष	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के तहत दर्ज दावा			
	दर्ज	निर्णीत	अर्थदंड	लाभान्वित कामगारों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**

2019-20	319	187	12192780/- रुपये	278
2020-21	336	204	166136127/- रुपये	2778
2021-22	811	400	298027109/- रुपये	5277

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 561
TO BE ANSWERED ON 21.07.2022

NON- COMPLIANCE OF WAGE LAWS

561. PROF. MANOJ KUMAR JHA:

Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:

(a) whether Government is aware that certain companies in the country have not been complying with the national wage laws;
(b) whether Government has maintained a database of such violations, if so, the details thereof; and
(c) whether any compensation has been provided to the aggrieved persons due to non- compliance of the law, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)

(a) to (c): Under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, both the Central and the State Governments are appropriate Governments to enforce the provisions of the Payment of Wages Act, 1936, and the Minimum Wages Act, 1948, including the provisions relating to non-payment of wages/minimum wages, in their respective jurisdictions. In the Central sphere the enforcement is done through the Inspecting Officers of the Chief Labour Commissioner (Central) commonly designated as Central Industrial Relations Machinery (CIRM) and the compliance in the State Sphere is ensured through the State Enforcement Machinery. The designated inspecting officers conduct regular inspections and in the event of detection of any case of non-payment or underpayment of wages/minimum wages, they direct the employers to make payment of the shortfall of wages. In case of non-compliance, penal provisions prescribed under sections 17A and 20 of the Payment of Wages Act, 1936 and section 22 of the Minimum Wages Act are taken recourse to. The details in regard to enforcement of the minimum wages in the Scheduled employments in the Central Sphere are annexed. Details of enforcement of the provisions of the minimum wages in the State sphere are not centrally maintained.

*** *********

https://www.staffnews.in

Annexure

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (c) OF RAJYA SABHA UN-STARRED QUESTION No. 561 FOR 21.07.2022 REGARDING NON- COMPLIANCE OF WAGE LAWS.

Details of Inspections, Prosecutions and Convictions done under the Minimum Wages Act, 1948

Particulars	No. of Inspections Conducted	No. of Irregularities detected	No. Irregularities Rectified	No. of Prosecutions Launched	No. of Convictions
1	2	3	4	5	6
2019-20	7690	59950	23397	1609	412
2020-21	2114	13949	7566	501	174
2021-22	5022	35983	8726	492	167

Claim cases under Minimum Wages Act, 1948

Year	CLAIMS FILED UNDER MINIMUM WAGES ACT, 1948			
	FILED	DECIDED	AWARDED	No. of WORKERS BENEFITED
1	2	3	4	5
2019-20	3470	754	Rs. 217981002/-	5297
2020-21	3763	1334	Rs. 270202177/-	7631
2021-22	5297	2102	Rs. 177722490/-	7487

Details of Inspections, Prosecutions and Convictions done under the Payment of Wages Act, 1936

Particulars	No. of Inspections Conducted	No. of Irregularities detected	No. Irregularities Rectified	No. of Prosecutions Launched	No. of Convictions
1	2	3	4	5	6
2019-20	2629	16004	9622	317	57
2020-21	928	5003	4209	145	34
2021-22	2140	12325	3857	423	39

Claim cases under Payment of Wages Act, 1936

Year	CLAIMS FILED UNDER Payment of WAGES ACT, 1936			
	FILED	DECIDED	AWARDED	No. of WORKERS BENEFITED
1	2	3	4	5
2019-20	319	187	Rs. 12192780/-	278
2020-21	336	204	Rs. 166136127/-	2778
2021-22	811	400	Rs. 298027109/-	5277

******

https://www.staffnews.in